

श्री देवाय बनाम प्रभु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

अं. सं. 212 R.T. Act.

अलवर  
ओ.  
क  
5  
13  
श्री देवाय बनाम प्रभु  
वद. 07

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

प्रयोगी सस्ती व रंगारण के प्रयोग पर पर  
प्रयोगी पेशा हुई। प्रयोगी सस्ती व रंगारण प्रयोग  
श्री देवाय ने प्रयोग पर पेशा पर निवेदन किया कि  
इस न्यायालय में विचारधीन प्र. पर अस्थाई निवेदन  
को आगे नहीं चलाया जाये। प्रयोग पर पर विचार  
किया गया। प्रयोग पर में प्रयोग की पहचान  
श्री सुनील कुमार सेठ ने की। प्रयोग पर स्वीकार  
किया जा रहा है। प्रयोग के प्रयोग पर पर अस्थाई  
निवेदन प्रयोग पर अं. सं. 212 R.T. Act. आदेश  
39 नियम 1 व 2 दफा 151 जादी. स्पष्टीकरण किया  
जा रहा है। प्रयोग पर श्री सुनील कुमार सेठ पर  
दे का ही तथा श्री सुनील कुमार सेठ पर दे रहे हैं।

न्यायालय कोटकासिम (अलवर)  
(कोटकासिम उपखण्ड न्यायालय)